शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 दिसंबर 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

मनरेगा का इन्दौर संभाग की गरीबी निवारण में योगदान

डॉ.जितेन्द्र तलरेजा
सहायक प्राध्यापक
श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय
इन्दौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2005 को 'राष्ट्रीय गामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005' पारित किया गया, जिसके तहत प्रत्येक राज्य सरकार को एक योजना का निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाना आवश्यक था, परंतु कुछ वर्षो के पश्चात भारत सरकार द्वारा संशोधन कर उक्त अधिनियम का नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)' कर दिया गया। म.प्र. मे तीन चरणों में उक्त योजना का क्रियान्वयन समस्त जिलों में किया गया। मनरेगा देश की सर्वाधिक बजट वाली एक महती योजना है। मध्यप्रदेश में भी इस योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उक्त योजना के स्थान पर उपयोजनाओं के माध्यम से आवश्यक संसाधनों के निर्माण हेतु क्षेत्र के श्रम का सदुपयोग किया जा रहा है। योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीवनस्तर में आंशिक सुधार देखने में आया है। पहले जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं होने के कारण रोजगार की समस्या वर्ष भर रहती थी, अब इस योजना के माध्यम से वह वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। योजना की एक उपलब्धि यह भी रही है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक संसाधनों का निर्माण भी संभव हो पाया है, जिससे उस क्षेत्र का भी सर्वांगींण विकास संभव हो पाया है। योजना का प्रमुख ध्यान सिंचाई के स्रोतों को विकसित करने पर रहा है, जिससे उस क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था आसानी से पूरी हो सके। प्रस्तुत शोध पत्र में इंदौर संभाग के सन्दर्भ में मनरेगा के योगदान पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2005 को 'राष्ट्रीय गामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005' पारित किया गया। जिसके तहत प्रत्येक राज्य सरकार को एक योजना का निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाना आवश्यक था। परंतु कुछ वर्षो के पश्चात भारत सरकार द्वारा संशोधन कर उक्त अधिनियम का नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)' कर दिया गया।

रोजगार ग्यारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को अपने राज्य में रोजगार ग्यारंटी योजना का निर्माण करना था। म.प्र. में भी उक्त योजना का निर्माण किया गया एवं वर्ष 2006-07 में प्रथम चरण में 18 जिलों में उक्त योजना को लागू किया गया। वर्ष 2007-08 में इसका द्वितीय चरण लागू किया गया, जिसमें 13 जिलों को शामिल किया गया तथा वर्ष 2008-09 में तीसरे चरण में शेष अन्य 19 जिलों में भी इसका क्रियान्वयन किया गया। वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 51 जिले हैं तथा सभी जिलों में उक्त योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।

योजना के प्रथम चरण में शामिल किये गये जिले हैं, बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, मंडला, सतना, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टिकमगढ, उमरिया। योजना के द्वितीय चरण में शामिल किये गये जिले हैं - अनूपपुर, अशोक नगर, बुरहानपुर, छिंदवाडा, दमोह, दतिया, देवास, गुना, हरदा, कटनी, पन्ना, राजगढ, रीवा।

योजना के तीसरे व अंतिम चरण में शामिल किये गये जिले हैं - आगर मालवा, भिंड, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मन्दसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, रतलाम, सागर, सिहोर, शाजापुर, सिंगरौली, उज्जैन, विदिशा।

इन्दौर संभाग में योजना का क्रियान्वयन

मध्यप्रदेश मे तीन चरणों में उक्त योजना का क्रियान्वयन समस्त जिलों में किया गया। मनरेगा देश की सर्वाधिक बजट वाली एक महती योजना है। मध्यप्रदेश में भी इस योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उक्त योजना के स्थान पर उपयोजनाओं के माध्यम से आवश्यक संसाधनों के निर्माण हेतु क्षेत्र के श्रम का सदुपयोग किया जा रहा है। इन्दौर संभाग के संदर्भ में भी योजना का सकारात्मक प्रभाव रहा है, संभाग के आठ जिलों में रोजगार की माँग कर रहे समस्त परिवारों को शासन द्वारा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया गया, जिसे आगामी तालिका के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है।

इन्दौर संभाग (रोजगार की मांग व उपलब्धता) तालिका क्रमांक 1

वर्ष	अली राजपुर	बडवानी	बुरहानपुर	धार	इन्दौर	झाबुआ	खण्डवा	खरगोन	कुल
2006-07	--	146495	0	199583	--	180000	119757	155372	801207
2007-08	--	174470	36778	202133	--	193054	153585	183900	943920
2008-09	--	192103	47140	185978	33891	165473	145245	187570	957400
2009-10	--	194591	37549	172912	32573	140315	135841	152217	865998
2010-11	80502	189451	44011	168212	24994	97913	135798	142568	883449
Total	80502	897110	165478	928818	91458	776755	690226	821627	4451974

इंदौर संभाग के जिलों में भी यह योजना तीन अलग-अलग चरणों में क्रियान्वित हुई।

वर्ष 2006-07 के मध्य कुल 801207 परिवारों को रोजगार उपलब्ध हुआ, जबकि वर्ष 2007-08 में कुल 943920 परिवारों को योजना के माध्यम

से रोजगार मिला, जो गत वर्ष की तुलना में 117.81 प्रतिशत रहा, वहीं वर्ष 2008-09 जहाँ यह योजना मध्यप्रदेश में पूर्ण रूप से लागू हुई, कुल 957400 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में सफल रही, जो गत वर्ष की तुलना में 101.42 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2009-10 में 865998 परिवारों को रोजगार उपलब्ध हुआ। उक्त वर्ष में रोजगार की उपलब्धता की दृष्टि से गिरावट दर्ज हुई। इस वर्ष की रोजगार उपलब्धता गत वर्ष की तुलना में 90.45 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2010-11 में कुल 883449 परिवार योजना के माध्यम से लाभान्वित हुए, जो गत वर्ष की तुलना में 102.01 प्रतिशत रहा।

योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीवनस्तर में आंशिक सुधार देखने में आया है। पहले जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नही होने के कारण रोजगार की समस्या वर्ष भर रहती थी, अब इस योजना के माध्यम से वह वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। योजना की एक उपलब्धि यह भी रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक संसाधनों का निर्माण भी संभव हो पाया है, जिससे उस क्षेत्र का भी सर्वांगीण विकास संभव हो पाया है। योजना का प्रमुख ध्यान सिंचाई के स्त्रोतों को विकसित करने पर रहा है, जिससे उस क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था आसानी से पूरी हो सके।

प्रत्येक योजना के कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी रहते हैं। प्रस्तुत योजना का नकारात्मक पक्ष योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार है। फर्जी कार्यो के भुगतान, फर्जी जॉब कार्डस से रोजगार पाना, मस्टर रोल में हेरा-फेरी, ठेकेदारी, रोजगार आवंटन में पक्षपात, अवयस्कों से कार्य करवाना, कम मजदूरी का भुगतान, मजदूरी का विलम्ब से भुगतान, बेरोजगारी भत्तो में अनियमितताएँ उक्त योजना की प्रमुख समस्याएँ रही हैं।

उक्त समस्याओं के बावजूद भी योजना के सकारात्मक पक्ष हैं, जो ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयासरत हैं। यदि योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य समस्याओं के समाधान हो जाएँ एवं ईमानदारी से उक्त योजना का क्रियान्वयन होने लगे तो भारत के प्रत्येक ग्रामीण हेतु यह योजना प्रभावशाली योजना सिद्ध होगी।

उपसंहार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश की सर्वाधिक बजट वाली एक महती योजना है। मध्यप्रदेश में भी इस योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उक्त योजना के स्थान पर उपयोजनाओं के माध्यम से आवश्यक संसाधनों के निर्माण हेतु क्षेत्र के श्रम का सदुपयोग किया जा रहा है। इन्दौर संभाग के संदर्भ में भी योजना का सकारात्मक प्रभाव रहा है, संभाग के आठ जिलों में रोजगार की माँग कर रहे समस्त परिवारों को शासन द्वारा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीवनस्तर में आंशिक सुधार देखने में आया है। पहले जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नही होने के कारण रोजगार की समस्या वर्ष भर रहती थी, अब इस योजना के माध्यम से वह वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। योजना की एक उपलब्धि यह भी रही है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के

अंतर्गत विभिन्न आवश्यक संसाधनों का निर्माण भी संभव हो पाया है, जिससे उस क्षेत्र का भी सर्वांगींण विकास संभव हो पाया है। योजना का प्रमुख ध्यान सिंचाई के स्रोतों को विकसित करने पर रहा है, जिससे उस क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था आसानी से पूरी हो सके।

संदर्भ ग्रंथ

1 मिश्र आनन्द प्रकाश, ग्रामीण निर्धनता, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2014

2 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी स्कीम, म.प्र. प्रशिक्षण पुस्तिका-क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर

3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी अधिनियम 2005 - दिशा-निर्देश- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली

4 www.nrega.nic.in

5. www.nregs-mp.in

6. www.rural.nic.in

7. www.indore.nic.in